



-प्रेस नोट-

दिनांक 02.12.2025

!! सहारनपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ !!

थाना चिलकाना पुलिस का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अपराधी से मुठभेड़, बाद मुठभेड़ 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह/कारतूस व बिना नम्बर की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.12.2025 को थानाध्यक्ष चिलकाना मय हमराही फोर्स के सुल्तानपुर से फिरोजाबाद जाने वाले मार्ग पर चैंकिंग कर रहे थे, तभी सुल्तानपुर से फिरोजाबाद की तरफ एक बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम ने रोकने इशारा किया, तो मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति दाहिने तरफ खेतों में जाने वाली चकरोड की तरफ एक दम मुड़ा और पुलिस पार्टी पर जान मारने की नीयत से फायरिंग करके तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर चकरोड पर भागा कुछ दूर आगे जाकर दाहिने तरफ ट्यूबेल के पास मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर फिसल कर गिर गयी, उक्त बदमाश गन्ने के खेत की तरफ भागा तथा खेत में पेड़ों की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फिर से जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान **एजाज पुत्र बाबू निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर व बिना नम्बर प्लेट की एक स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद। **गिरफ्तार अभियुक्त एजाज थाना चिलकाना का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अपराधी हैं,** जिस पर जनपद सहारनपुर के अलग-अलग थानों पर हत्या, लूट, डकैती, चोरी, जानलेवा हमला व एनडीपीएस एक्ट आदि के तहत संगीन धाराओं में लगभग **03 दर्जन मुकदमें दर्ज हैं।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-341/2025 धारा 109(1), 317(5) बीएनएस व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

एजाज पुत्र बाबू निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी की विवरण:-

- 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर,
- 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट की एक स्पलेण्डर मोटरसाइकिल

अभियुक्त एजाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0-83/2019 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0स0-84/2019 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0स0-149/2017 धारा-307, 34 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

4. मु0अ0स0-150/2017 धारा-414 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0स0-214/2015 धारा-394,411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. मु0अ0स0-214/2018 धारा-147,148,323,324,452,504,506 भादवि थाना चिलकाना स0पुर।
7. मु0अ0स0-234/2018 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0स0-255/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
9. मु0अ0स0-305/2020 धारा-379,411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0स0-458/2017 धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
11. मु0अ0स0-466/2021 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0स0-467/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
13. मु0अ0स0-132/2021 धारा-395,412,120बी भादवि थाना बेहेट सहारनपुर
14. मु0अ0स0-137/2021 धारा-307 भादवि थाना बेहेट सहारनपुर
15. मु0अ0स0-249/2015 धारा-379,392,411,420 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
16. मु0अ0स0-157/2014 धारा-307,302 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
17. मु0अ0स0-115/2014 धारा-392,411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
18. मु0अ0स0-171/2014 धारा-392,411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
19. मु0अ0स0-316/2014 धारा-307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
20. मु0अ0स0-317/2014 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
21. मु0अ0स0-181/2015 धारा-392,411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
22. मु0अ0स0-205/2015 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
23. मु0अ0स0-221/2015 धारा-392,411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
24. मु0अ0स0-224/2015 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
25. मु0अ0स0-136/2017 धारा-379,411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
26. मु0अ0स0-151/2017 धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
27. मु0अ0स0-40/2018 धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
28. मु0अ0स0-197/2019 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
29. मु0अ0स0-198/2019 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
30. मु0अ0स0-199/2019 धारा-10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
31. मु0अ0स0-287/2022 धारा-8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
32. मु0अ0स0-400/2020 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
33. मु0अ0स0-234/2017 धारा-379,411 भादवि थाना बेहेट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 1551 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 150 सौरव पँवार थाना चिलकाना सहारनपुर
5. का0 2556 विशाल बाबू थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. का0 2331 लवलेश राठी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक - 02.12.2025

-प्रेस नोट-

□ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में जनपद सहारनपुर में पुलिस चौकियों का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण □

□ गणमान्य/प्रतिष्ठित नागरिकों/महिलाओं द्वारा सहारनपुर की जीर्णोद्धारित चौकियों का फीता कटवाकर उदघाटन कराया गया □

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस की बड़ी एवं जनहितकारी पहल: जनपद सहारनपुर में पुलिसिंग को और अधिक जन-अनुकूल, सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से सभी पुलिस चौकियों का व्यापक जीर्णोद्धार कराया गया। यह पहल न केवल कार्यक्षमता बढ़ाती है, बल्कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, सुगमता एवं जनविश्वास को भी नई दिशा प्रदान करती है।

□ गणमान्य व्यक्तियों व महिलाओं द्वारा नव-जीर्णोद्धारित चौकियों का उदघाटन कराया गया -

सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए नवोद्धारित पुलिस चौकियों का फीता कटवाकर शुभारंभ प्रतिष्ठित नागरिकों, सम्मानित गणमान्यों एवं महिलाओं द्वारा कराया गया। यह पुलिस-जन सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

□ जनसुविधा के लिए नई पारदर्शी व्यवस्था

चौकियों पर तैनात सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर का विवरण आकर्षक फ्लैक्स बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है, जिससे ✓ नागरिकों के लिए संपर्क आसान, ✓ शिकायत/सहायता हेतु त्वरित सुविधा व ✓ पारदर्शी एवं उत्तरदायी चौकी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके

□ मिशन शक्ति फेज 5.0 के अनुरूप महिला सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम

उ.प्र. शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत चौकियों पर महिलाओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए—महिला हेल्पलाइन (1090), आपातकालीन सेवा (112), चाइल्डलाइन (1098), महिला हेल्प डेस्क नंबर, साइबर हेल्पलाइन, महिलाओं के कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण वाले विशेष बोर्ड चौकियों पर स्थापित किए गए हैं। इससे महिलाओं, छात्राओं एवं पीड़िताओं को समय पर सही मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराना और भी आसान हो गया है।

□ जीर्णोद्धार के दौरान किए गए प्रमुख कार्य

1. भवन सुधार एवं संरचनात्मक मजबूती
2. आंतरिक सुविधाओं का विकास
3. स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाएँ
4. कार्यालय संचालन के लिए उन्नत व्यवस्था
5. तकनीकी उन्नयन
6. सौंदर्यीकरण एवं जन-अनुकूल वातावरण



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.विनोद कुमार पुत्र साधू निवासी ग्राम सलेमपुर भूकड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या 4635/2002 धारा 323/504/506/352 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर में व 2. मेहन्द्र पुत्र चेतू उर्फ चेताराम निवासी ग्राम सलेमपुर भूकड़ी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद संख्या 4635/2002 धारा 323/504/506/352 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद में ग्राम सलेमपुर भूकड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. विनोद कुमार पुत्र साधू निवासी सलेमपुर भूकड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मेहन्द्र पुत्र चेताराम निवासी सलेमपुर भूकड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. का0 1487 जयकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1716 अनुज कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 02.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त** **गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **01 वारण्टी अशफाक पुत्र जमालू निवासी ग्राम दभेडाकंला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद सं० -3647/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना (मा० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर) नियत दिनांक 02.12.2025 में ग्राम दभेडा कला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अशफाक पुत्र जमालू निवासी ग्राम दभेडाकंला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री बलराम सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का० 215 सुमित थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का० 1815 विशाल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक 02.12.2025

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 202 ग्राम अवैध चरस

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है। व शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त इलियास पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला जाकिर हुसैन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को सहारनपुर-चिलकाना मार्ग से ग्राम कालू माजरा को जाने वाले रास्ते पर ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 202 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 340/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

इलियास पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला जाकिर हुसैन कस्बा चिलकाना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी:-

202 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1551 अमित कुमार कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 2556 विशाल बाबू थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक -02.12.2025

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 चोरी गया मोबाइल फोन, 01 सिक्का सफेद धातू, 01 इन्वर्टर, 03 बैटरे व 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटनाओं का विवरण:-

- दिनांक 30.07.2025 वादी डा0 दिपांशु पुत्र डा0 दिनेश निवासी सुहागन थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा तल्लेडी बुजुर्ग स्थित मेडिकल स्टोर है 01 इन्वर्टर व 01 बैटरा चोरी कर ले जाने व वादी संजय पुत्र रतीराम निवासी बेगमपुर की करसी सेवा केन्द्र से एक इन्वर्टर बैटरा चोरी कर ले जाने व वादी श्याम कुमार पुत्रजनार्दन निवासी अमबोली की काका सेलर से एक इन्वर्टर दो बैटरे, एक जनरेटर, तीन कटे गेहूँ व दो सरसो की टिन चोरी कर ले जाने तथा वादी अय्याज पुत्र ताहिर निवासी धर्मपुर सरवागी की दुकान से फ्रिज, कम्प्रेसर, मोटर वासिंग मशीन की मोटर चोरी कर ले जाने सम्बन्धी घटनाओं की सूचना पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 513/2025 धारा 303(2) BNS के पंजीकृत किय गया।
- दिनांक 07.09.2025 को वादी सोहनलाल पुत्र श्री रमेशचन्द निवासी मदीना कालोनी पीलर नं0 05 के सामने कस्बा थाना देवबन्द की दूकान के गल्ले से अज्ञात चोरो द्वारा करीब 15-16 हजार रुपये चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 669/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।
- दिनांक 30/11/2025 को वादी शाहरुख पुत्र मुराद अली निवासी ग्राम सूबरी ख्वाजा, थाना नांगल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के इन्टरलाकिंग टाइल्स मैनिफैक्चरिंग प्लांट साखन कला से अज्ञात चोरों द्वारा एक इन्वर्टर ल्यूमिनस, एक बैट्रा एमरोन व एक मोबाइल Samsung Galaxy M 01s को चोरी कर लेने के सम्बंध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 1054/2025 धारा 303(2) BNS के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटनाओं संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 शातिर चोर अभियुक्तगण 1- सरफराज पुत्र असगर निवासी ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर, 2- शाहरुख पुत्र माजिद निवासी ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर व 3- रफीक पुत्र गय्यूर निवासीग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर को मनोहर पुर से अड्डे की तरफ तल्लेडी बुजुर्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 01 बैटरा AMRON रंग ग्रीन, 01 इन्वर्टर LUMINOUS रंग ग्रे व 01 मोबाइल फोन Samsung Galaxy M01s (सम्बन्धित मु0अ0सं0 1054/2025 धारा 303(2) थाना देवबन्द), 02 बैटरे (सम्बन्धित मु0अ0सं0 513/25 धारा 305A BNS थाना देवबन्द), 01 सिक्का सफेद धातु (सम्बन्धित मु0अ0सं0 669/25 धारा 303(2) BNS थाना देवबन्द) व 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा

317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1- सरफराज पुत्र असगर निवासी ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर
- 2- शाहरुख पुत्र माजिद निवासी ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर
- 3- रफीक पुत्र गयूर निवासी ग्राम उमाही थाना नांगल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 फोन Samsung Galaxy M 01s व एक
- 01 सिक्का सफेद धातू
- 01 इनवर्टर
- 03 तीन बैट्रे
- 01 मोटरसाइकिल

अभियुक्त सरफराज का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 311/2016 धारा 15 एनडीपीएस एक्ट थाना नांगल
2. मु०अ०स० 174/2021 धारा 8/30 एनडीपीएस थाना नांगल
3. मु०अ०स० 161/2025 धारा 303(2), 317(2) थाना नांगल सहारनपुर
4. मु०अ०स० 1054/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द
5. मु०अ०स० 513/25 धारा 305 A /317(2) BNS थाना देवबन्द
6. मु०अ०स० 669/25 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवबन्द

अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 1054/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द
2. मु०अ०स० 513/25 धारा 305 A /317(2) BNS थाना देवबन्द
3. मु०अ०स० 669/25 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवबन्द।

अभियुक्त रफीक का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 1054/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ०नि० राजकमल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- उ०नि० कर्मवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 3- है०का० 1209 रविन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 4- का० 2173 विवेक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक 02.12.2025

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त
गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 02/12/25 को गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त वाजिद पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 गंगा आर्यनगर कस्बा जल्लाबाद थाना थानाभवन शामली** को विधार्थी तिराहे से नये बिजलीघर के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वाजिद के कब्जे से **कुल 20 ग्राम अवैध स्मैक** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 573/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त वाजिद उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. वाजिद पुत्र दिलशाद पुत्र निवासी मौ0 गंगा आर्यनगर कस्बा व थाना जल्लाबाद थाना थानाभवन जिला शामली

बरामदगी का विवरण-

- 20 ग्राम अवैध स्मैक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 83/16 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 33/18 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 132/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 297/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जिला सहारनपुर.
5. मु0अ0सं0 540/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना शामली जिला शामली
6. मु0अ0सं0 01/19 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना थानाभवन जिला शामली
7. मु0अ0सं0 495/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना थानाभवन जिला शामली

8. मु0अ0सं0 135/24 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जिला शामिली
9. मु0अ0सं0 137/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना थानाभवन जिला शामिली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 326 रिकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 02.12.2025

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल 55,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 27.11.2025 को पीडित कलीम पुत्र इकराम निवासी मौ0 बंजारा न कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा आनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से कुल 55,000/- रुपये की ठगी की सूचना पर के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर आकर सूचना दी गयी थी। जिस पर थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत सं0 33111250169526 दर्ज करायी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत संख्या 33111250169526 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित कलीम पुत्र इकराम निवासी मौ0 बंजारा न कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि बैंक के माध्यम से होल्ड करायी गयी थी।

इसी क्रम में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते कुल 55,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 02.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2025 को वादी श्री रवि पुत्र श्री यशपाल निवासी ग्राम धर्म थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त हर्षित व अन्य 04 अभियुक्तगण द्वारा वादी के भतीजे गौतम के साथ मारपीट व गोली मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 814/2025 धारा 190,191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1) बीएनएस बनाम हर्षित आदि 05 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 02.12.2025 पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त हर्षित पुत्र बलजोरा नि0 ग्राम धर्मपुर गुर्जर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम धर्मपुर गुज्जर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हर्षित पुत्र बलजोरा नि0 ग्राम धर्मपुर गुर्जर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1289 विकास पंवार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 582 सलीम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 02.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 01.12.2025 को वादी श्री नवाब पुत्र इरसाद निवासी पुल खुमरान मौहल्ला छिपियान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.अजहर उर्फ घोड़ी पुत्र राशिद निवासी लुहानी सराय थाना कोतवाली नगर 2. सलमान पुत्र मोहम्मद अली निवासी ऊँची मस्जिद के पास ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर 3. साहिल उर्फ अन्डा पुत्र मौबिन निवासी मुलाखालिस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के छोटे भाई जुनैद के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करना जिससे वादी के भाई के गंभीर चोट आने के सम्बन्ध में थाना मण्डी मु0अ0सं0- 518/25 धारा- 109/352/3(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र मौहम्मद अली निवासी ऊँची मस्जिद के पास, ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सब्जी मण्डी के पश्चिम दिशा में माल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 छुरी बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि का जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र मौहम्मद अली निवासी ऊँची मस्जिद के पास, ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज छुरी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 897 आशु कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 237 योगेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 02.12.2025

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.11.2025 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर जिला बदर अभियुक्त सतीश उर्फ जोनी कुमार पुत्र राजेश निवासी सोसायटी वाली गली कस्बा व थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर को कस्बा बिहारीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सतीश उर्फ जोनी उपरोक्त को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 26.11.25 से 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता –

सतीश उर्फ जोनी कुमार पुत्र राजेश निवासी सोसायटी वाली गली कस्बा व थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 105/24 धारा 60 आबकारी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 100/24 धारा 60 आबकारी थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 11/17 धारा 380/411 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 188/16 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 256/16 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 174/25 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।
3. का0 1909 रजनीश कुमार थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।
4. का0 2174 ज्ञानेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।



दिनांक- 02.12.2025

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा **पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को** **किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 13.11.2025 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर दी जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0-160/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 30.11.2025 को पुलिस द्वारा वादी की पुत्री/पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया एवं विवेचना के दौरान अभियुक्त **हरीश पुत्र आनन्द निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **हरीश पुत्र आनन्द निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** को सुन्दरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हरीश पुत्र आनन्द निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री हवन सिंह चीमा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
3. है0का0 1271 रोहित तेवतिया थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक 02.12.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कुतुबशेर पुलिस व एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 2.810 किग्रा अवैध अफीम (अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख 80 हजार रुपये), 01 मोबाइल फोन, व 1,050/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ के आदेश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अवैध नशे की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम/द्वितीय जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में ए0एन0टी0एफ0 टीम व थाना कुतुबशेर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 02/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त ब्रजपाल उर्फ गोपाल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ललवा नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उ0प्र0 को गुरुद्वारा रोड निकट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2.810 किग्रा अवैध मादक पदार्थ अफीम (जिसकी अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 28 लाख 80 हजार रुपये), 01 मोबाइल फोन सैमसंग, 01 रेल टिकट व 02 बस टिकट तथा 1,050/- रुपये नगद बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0-518/25 धारा 8/18c/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ब्रजपाल उर्फ गोपाल पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ललवा नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उ0प्र0।

बरामदगी का विवरण-

- 2.810 किग्रा अवैध मादक पदार्थ अफीम
- 01 मोबाइल फोन सैमसंग
- 1,050/- रुपये नगद

➤ 01 रेल टिकट

➤ 02 बस टिकट

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

❖ थाना कुतुबशेर पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. हैड का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

❖ थाना ए.एन.टी.एफ. मेरठ टीम

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।
2. हैड का0 सन्दीप कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।
3. हैड का0 विनीत हुड्डा ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।
4. हैड का0 धीर सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।
5. हैड का0 मनीष ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.12.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी का स्टेब्लाइजर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2025 को वादी सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र मुद्दशी लाल गुप्ता निवासी भगवती कॉलोनी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने चांदी का सामान, डीवीआर, हार्ड डिस्क व स्टेब्लाइजर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 590/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अंकित ठाकुर पुत्र अशोक कुमार निवासी मौ0 बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को बालाजीधाम मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चोरी का स्टेब्लाइजर बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकित ठाकुर पुत्र अशोक कुमार निवासी मौ0 बेरीबाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 स्टेब्लाइजर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ0नि0 श्री सुदेश पाल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 1487 जयकुमारथाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 1716 अनुज कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 02.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.12.2025 को 01 वारण्टी अभियुक्त **अजय उर्फ भूरा पुत्र बलबीर सिंह नि० मौ० मुन्शीपुरा कस्बा व थाना नकुड़ सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं० 3237/2025 मु०अ०स० 291/2010 धारा 380/457 भा०द०वि० सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर) को कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय उर्फ भूरा पुत्र बलबीर सिंह नि० मौ० मुन्शीपुरा कस्बा व थाना नकुड़ सहारनपुर।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 320 तरुण गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 02.12.2025

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2025 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी नया गाँव उर्फ नया बास थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाना तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 675/2025 धारा 376(2)n/323 भादवि पंजीकृत कराय गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.12.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **शुभम कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी नया गाँव उर्फ नया बास थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को सावलपुर नवादा चौराहे की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शुभम कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी नया गाँव उर्फ नया बास थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1 उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 714 नितिन तौमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक 02.12.2025

* ➡ □ थाना तीतरो क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*

* ➡ □ आज दिनांक 02 दिसंबर 2025 को थाना तीतरो के कस्बा तीतरो एवं आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।*

* ➡ □ कार्यक्रम का नेतृत्व थाना तीतरो की टीम द्वारा किया गया, जिसमें— निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल सचिन लाकरा, एवं महिला कांस्टेबल दिव्यांशु ने सक्रिय भागीदारी की।*

* ➡ □ साइबर सुरक्षा एवं मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जागरूकता अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं को निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया—*

* ➡ □ ऑनलाइन ठगी, OTP फ्रॉड, सोशल मीडिया क्राइम, साइबर ब्लैकमेलिंग, फर्जी कॉल/लिंक से बचाव, मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर बताए गए □*

*महिलाओं को सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:*

1930 – साइबर फ्रॉड/साइबर क्राइम रिपोर्टिंग

1090 – वूमेन पावर लाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन



दिनांक 02.12.2025

*** ➡** आज दिनांक 02/12/25 को थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा कस्बे एवं प्रमुख बाजार क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को तीन नए कानून (BNS, BNSS, BSA) तथा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। ☐☐☐☐ *

*** ➡** अभियान का नेतृत्व महिला उपनिरीक्षक मिथिलेश राठौर, LC 505 प्रीति चौधरी एवं होमगार्ड सुमित द्वारा किया गया। टीम ने बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी रोकथाम, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, साइबर ठगी, फर्जी कॉल व अनचाहे लिंक से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया। ☐♀☐☐☐ *

*** ➡** कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1090, 1076, 1098, 1930, 108, 112—की जानकारी दी गई तथा महिलाओं/बालिकाओं को सतर्क रहने व आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया। ☐ ☐☐ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/25 को थाना मंडी, जनपद सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा स्कूलों, बाजारों, पार्कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मिशन शक्ति फेज 5.0 तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों और जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान का संचालन उपनिरीक्षक प्रीति, म०का० चित्रा, म०का० अंजली तोमर तथा पीआरडी सीता द्वारा किया गया। टीम ने महिलाओं की समस्याएं सुनीं तथा उन्हें विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी रोकथाम, और गुड टच-बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। □ □ □ □ *

* ➡ कार्यक्रम के दौरान हेल्पलाइन नंबर—1090, 1076, 1098, 1930, 108, 112—के बारे में जानकारी दी गई तथा डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसे साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही टीम द्वारा चेकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और आवश्यक हिदायतें दी गईं। □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना नानौता एवं कस्बा नानौता में बाजार, स्कूल, बैंक तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूकता कार्यक्रम के तहत संबोधित किया गया। यह कार्यक्रम श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक देहात महोदय के कुशल नेतृत्व में संचालित किया गया। □ ♀ □ □ *

* ➡ थाना नानौता की एंटी रोमियो टीम द्वारा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, अनचाहे लिंक, फर्जी कॉल, OTP फ्रॉड आदि से बचने के तरीके बताए गए। साथ ही सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर—1930 (साइबर अपराध), 1090 (वूमेन पावर), 112 (पुलिस इमरजेंसी)—की जानकारी प्रदान की गई। □ □ □ *

* ➡ अभियान के दौरान बाजार, स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की गई तथा उन्हें आवश्यक चेतावनी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता लेने हेतु जागरूक किया गया। □ □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। टीम में उप निरीक्षक विनोद तेवतिया, महिला उपनिरीक्षक अंजू सिंह, महिला कांस्टेबल शिवानी, महिला कांस्टेबल आशा तथा हेड कांस्टेबल अमित धामा शामिल रहे। टीम ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से संबंधित जानकारी प्रदान की। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान के दौरान बालिकाओं व महिलाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, झूठी अफवाहों से बचाव, सरकारी योजनाओं, बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों और विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। महिला कांस्टेबलों द्वारा बीट क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाई गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के तरीकों व उनसे बचाव के उपायों की भी जानकारी दी गई। □ □ □ *

* ➡ सराय चौक पर महिलाओं और बालिकाओं की चौपाल लगाकर महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1090 (वूमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एंबुलेंस सेवा), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा) तथा 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)—की जानकारी दी गई। टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याएँ पूछी गई, उनका निस्तारण किया गया तथा जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना गागलहेरी में महिला कांस्टेबल मनीषा चौहान एवं महिला कांस्टेबल शशिबाला द्वारा चौकी कस्बा गागलहेरी, दीनारपुर, भगवानपुर तिराहा, गागलहेरी तिराहा, कस्बा गागलहेरी, मैन बाजार एवं देहरादून रोड पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान के तहत मिशन शक्ति फेज 5.0 तथा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। □ □ □ *

* ➡ महिला टीम द्वारा साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, अनचाहे लिंक व कॉल से बचने के उपाय बताए गए तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1090 (वूमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एंबुलेंस सेवा) और 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)—की जानकारी दी गई। जागरूकता बढ़ाने हेतु पंपलेट भी वितरित किए गए। □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना कुतुबशेर की एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम—उप निरीक्षक सुमन चाहर, हेड कांस्टेबल मोंटी तोमर एवं हेड कांस्टेबल अनुज आर्य—द्वारा थाना क्षेत्र के बाजारों, बैंक, स्कूल आदि स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान के दौरान बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं बच्चों हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक एवं इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी सचेत किया गया। □ □ □ *

* ➡ टीम द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1090 (वूमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एंबुलेंस सेवा) तथा 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)—की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाल मजदूरी, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और मोबाइल व इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग हेतु जागरूक किया गया। उपस्थित लोगों में जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना अध्यक्ष संतोष कुमार त्यागी जी के नेतृत्व में थाना नकुड़ की एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम—उप निरीक्षक कोमल पवार, हेड कांस्टेबल नितिन एवं हेड कांस्टेबल वीर प्रताप सिंह—द्वारा कस्बा नकुड़ के प्रमुख बाजारों में महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। टीम ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से संबंधित जानकारी प्रदान की। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा बच्चों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया तथा साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक व इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति सचेत किया गया। □ □ □ *

* ➡ टीम द्वारा सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1090 (वूमेन पावर लाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एंबुलेंस सेवा) तथा 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)—की जानकारी दी गई। साथ ही बाल मजदूरी, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में समझाया गया तथा मोबाइल/इंटरनेट का सावधानीपूर्वक प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई। टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर सुरक्षा, सम्मान एवं जागरूकता से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा की। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान के दौरान बालिकाओं और महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी न कराने, तथा गुड टच-बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया। टीम ने सभी प्रतिभागियों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया। □ □ □ *

* ➡ साथ ही महिला टीम द्वारा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—1090 (वूमेन पावर), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एंबुलेंस सेवा) एवं 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)—की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक व अन्य साइबर अपराधों से बचने के लिए आवश्यक जागरूकता भी प्रदान की गई। □ □ □ *



दिनांक 02.12.2025

* ➡ आज दिनांक 02/12/2025 को थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान—मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम एवं बीट भ्रमण टीम द्वारा क्षेत्र में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व महिला उप निरीक्षक खुशबू, महिला हेड कांस्टेबल कोमल, बबीता, तथा PRD आदेशना द्वारा किया गया। टीम ने कस्बा गंगोह, ननौता चौक, तिराहा, शिव चौक, लखनौती तिराहा, मेटाडोर स्टैंड, मेन मार्केट, शोभित विश्वविद्यालय चौराहा सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया। □ ♀ □ □ *

* ➡ अभियान के दौरान टीम ने विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों—नामदेव पब्लिक स्कूल, गीता ज्ञान संस्कार अकादमी, कृष्ण मेमोरियल कॉलेज, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज—तथा PNB, IOB, केनरा बैंक आदि स्थानों पर चौपाल लगाकर महिलाओं से उनकी समस्याएँ पूछीं। साथ ही उन्हें विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी रोकथाम, और गुड टच-बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। □ □ □ *

* ➡ टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर—1090 (वूमेन पावर लाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1930 (साइबर अपराध), 108 (एंजुलेंस सेवा) एवं 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा)—की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक एवं अन्य साइबर अपराधों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के अंत में टीम ने महिलाओं की समस्याएँ सुनीं और आवश्यक सहयोग प्रदान किया। □ □ □ *